असंगठित क्षेत्र कोविड-19 का प्रभावः महिला घरेलू कामगारों के संदर्भ में

सुरेन्द्र कुमार

lkjk'k *कोविड-19 महामारी ने जीवन और जीविका दोनों को प्रभावित किया। असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर लॉकडाउन का विशेष प्रभाव पड़ा। इनमें लगभग तीस लाख महिला घरेलू कामगार हैं जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के दौरान अत्यंत दयनीय हो गई। इनका काम छूट गया। घरों में कैद होने को वे मजबूर हो गईं। सरकार के अनुरोध के बावजूद इनके नियोक्ताओं ने इनका वेतन रोक दिया। काम से हटा दिया। महानगरों एवं बड़े शहरों में स्थिति और भी भयावह थी। प्रस्तुत लेख में महिला घरेलू कामगारों की महामारी के दौरान स्थिति का आकलन किया गया है।इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाए गए हैं। सरकार के द्वारा अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाए गए। किंतु सरकारी राहत इन तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पाई। प्रशासकीय बाधाएँ, पंजीकरण की जटिल प्रक्रियाएं तथा अप्रभावी क्रियान्वयन के कारण इन योजनाओं का लाभ लक्षित समूह को नहीं मिल पाया।*

प्रस्तावना

वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकारों ने कई बार लॉकडाउन लगाया। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी 24 मार्च, 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक दूरी कायम करना था ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। किंतु इन प्रतिबंधों के कारण देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी। उद्योग धंधों पर ताले लग गए। रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। संगठित क्षेत्र की तुलना में असंगठित क्षेत्र व्यापक रूप से प्रभावित हुआ।[1] इस क्षेत्र के कामगार रोज कमाने और खाने वाले लोग होते हैं, यथा— घरेलू कामगार, रेहड़ी लगाने वाले, कचरा चुनने वाले, निर्माण मजदूर इत्यादि। इनके रोजगार अचानक समाप्त हो गए। घरों के किराए देने को पैसे नहीं बचे। मकान मालिक किराए के लिए

परेशान करने लगे। फलतः, इन्हें मजबूर होकर अपने घरों एवं गांवों की ओर कूच करना पड़ा जिसकी स्मृति हम सबके जेहन में तरोताजा है। एक आकलन के अनुसार भारत में चार गैर-कृषि कामगारों में से तीन असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं।[2] कृषि कार्यों में रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में ये बड़े नगरों एवं शहरों की ओर रुख करते हैं। ये वहां विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये कामगार अशिक्षित, अप्रशिक्षित एवं गरीब होते हैं। पुरूष एवं महिला अलग-अलग कार्यों में संलग्न होते हैं। पुरूष सामान्यतः सुरक्षा गार्ड, निर्माण मजदूर या रेड़ी लगाने का कार्य करते हैं जबकि महिलाएं या तो पुरूषों के कार्यों में सहयोग करती हैं या अपार्टमेंट्स में घरेलू सहायक के रूप में कार्य करती हैं।

नियोक्ताओं की उदासीनता

एन. एस. एस. के 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग चालीस लाख घरेलू कामगार हैं जिनमें करीब तीस लाख महिला घरेलू कामगार हैं।[3] लॉकडाउन के बाद इनका काम रातों रात बंद हो गया। ये बेरोजगार हो गए। इनके नियोक्ताओं के द्वारा भी आर्थिक मदद नहीं दी गई। भारत सरकार ने नियोक्ताओं से कई बार अपील की थी कि महामारी के दौरान वे अपने घरेलू कामगारों एवं कर्मचारियों को पूरा वेतन मानवीय आधार पर दें। किंतु अधिकतर घरेलू कामगारों को लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन नहीं मिला।[4] नियोक्ताओं ने इसके पीछे अपनी मजबूरी बताई। उनका कहना था कि उनके वेतन में भी कटौती हो गई है। उनका काम बंद हो गया है। साथ ही उन्हें ऋण के ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। लॉकडाउन के उपरान्त अधिकतर लोग घर से कार्य करने लगे। ऐसी स्थिति में पूर्ण-कालिक महिला घरेलू कामगारों का भी काम बंद हो गया। ये कामगार छोटे बच्चों एवं बूढों की देखभाल करती थीं। साथ ही घर का सारा काम भी इनके जिम्मे था क्योंकि पति-पत्नी काम पर जाते थे। घर से काम करने तथा बीमारी से सुरक्षा का हवाला देते हुए इन्हें काम से निकाल दिया गया। इस प्रकार, घरेलू कामगारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। भूखमरी के कगार पर ये आ गईं। सरकार के द्वारा प्रदत्त आर्थिक मदद एवं राशन भी अधिकांश को नहीं मिल पाई।

रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की भूमिका

महानगरों एवं बड़े शहरों में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की भूमिका भी महिला घरेलू कामगारों के संघर्ष एवं दुःख-दर्द को बढ़ाने वाली रही।[5] अपार्टमेंट्स में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉकडाउन के हटने के बाद भी ये प्रतिबंध जारी रहे। इनका फोटो, निवास प्रमाण-पत्र, टेलीफोन नम्बर इत्यादि मांगा गया। साथ ही पुलिस सत्यापन की शर्त भी रखी गई। ये शर्तें अशिक्षित महिला कामगारों के लिए

अत्यंत कठिन थीं। इनमें से अधिकांश समाज के पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग से ही आती हैं। इनके मानवाधिकारों का हनन किया गया। लिफ्ट के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया । सीढ़ी के रास्ते ही इन्हें नियोक्ताओं के घरों में जाना पड़ता था। एसोसिएशन ने इनके लिए आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करने की शर्त रख दी। यह एप्प स्मार्ट फोन में ही डाउनलोड किया जा सकता है। अधिकतर महिला कामगारों के पास स्मार्ट फोन नहीं थे। इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को नजरंदाज करके इस प्रकार की शर्तें अस्वीकार्य, असहनीय एवं अमानवीय हैं। ये गरीब महामारी के दौरान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहीं हैं। हद तो तब हो गयी जब इन घरेलू महिला कामगारों को वायरस का वाहक (वायरस कैरियर) माना गया।[6] अमीर एवं संभ्रांत परिवार के लोग सिरे से वायरस कैरियर की अपनी भूमिका नकारते रहे। यह सच्चाई है कि विदेशों से आए लोगों से ही वायरस का फैलाव हुआ न कि स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाली इन महिला घरेलू कामगारों से। अगर ये कामगार वायरस से पीड़ित हुईं तो अपने नियोक्ताओं से हुईं। इसके बावजूद अपार्टमेंटस में इनके प्रवेश पर ही प्रतिबन्ध लगा। इनकी कार्य की प्रकृति ऐसी है कि ये घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) नहीं कर सकते। काम छूटने के कारण परिवार चलाना एवं घर का किराया देना मुश्किल हो गया। इस प्रकार, लॉकडाउन के दौरान इन गरीब महिला घरेलू कामगारों पर ही सबसे अधिक मार पड़ी।

सामाजिक-आर्थिक संघर्ष

एक तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य करने वाले घरों से काम करते रहे। लगातार वेतन मिलता रहा तथा उनके बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से चलती रही तो दूसरी ओर घरेलू कामगारों की नौकरी चली गयी तथा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रहीं। ये असमताएं लॉकडाउन के पूर्व भी थीं। किंतु लॉकडाउन के दौरान इसमें आशातीत वृद्धि हुई। इन कामगारों की नौकरी लिखित अनुबंध पर आधारित न होकर मौखिक शर्तों पर निर्भर होती है जिन्हें कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार बदला जा सकता है।[7] कार्य असुरक्षा की भावना सर्वदा बनी रहती है। इनके लिए कल्याणकारी प्रावधान यथा– बीमा, संवैतानिक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, मातृत्व अवकाश इत्यादि का प्रावधान नहीं है। कार्यस्थल की परिस्थितियां अत्यंत कठिन हैं। अधिकांश महिला कामगारों का नियोक्ताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार से शोषण होता है। अपना घर चलाने के लिए ये कम मजदूरी पर भी कार्य करने को तैयार हो जाती हैं। कई बार तो पति के निकम्मेपन के कारण पूरे घर का खर्च इन्हें ही चलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इनका संघर्ष और भी बढ़ जाता है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अनेक वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने अनेक

राहत कार्य शुरू किए। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 500 की राशि तीन महीने तक गरीब महिला कामगारों के खातों में डालने की घोषणा की गई।[8] राज्य सरकारों के द्वारा मुफ्त राशन वितरण की व्यवस्था की गई। इसके लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रखी गई। केंद्र एवं राज्य सरकारों की इन सभी सरकारी घोषणाओं के बावजूद धरातल की स्थिति कुछ और ही थी। अधिकतर महिला कामगारों को इनका लाभ नहीं मिला। बैंक खाता निष्क्रिय होने के कारण नकदी राशि नहीं मिल पाई।[9] अधिकतर महिलाएं तो इन योजनाओं से अनभिज्ञ थीं जिसके कारण उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया। राशन एवं फूड पैकेट के वितरण में भी अनियमितता पाई गई।

नियोक्त-कर्मचारी संबंध

नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच संबंध को पुनःपरिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि घरेलू कामगारों को भी संगठित क्षेत्र के कामगारों की तरह व्यवहार किया जा सके। नियोक्ताओं को इनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक अपने अस्तित्व के लिए तो दूसरा काम के साथ घर-परिवार संभालने के लिए। दोनों को यह समझना होगा कि वे एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। अतः, दोनों के बीच दीर्घ-कालिक संबंध होना चाहिए। अगर कामगार की कोई गलती पकड़ी जाती है और काम पर आने से मना किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक माह का नोटिस देना अनिवार्य होना चाहिए। महामारी के दौरान सरकार के द्वारा प्रदत्त राहत सामग्री के वितरण की जानकारी महिला घरेलू कामगारों को दी जानी चाहिए ताकि इनका लाभ उन्हें भी मिल सके। जानकारी के अभाव में अधिसंख्य महिला कामगार सरकारी कार्यक्रमों के लाभ से वंचित रह जाती हैं। अतः, इनका क्रियान्वयन इस तरह से किया जाना चाहिए कि अशिक्षित एवं अजागरूक महिला कामगारों को भी इनका लाभ मिल सके ।

सरकारी योजनाएँ एवं कार्यक्रम

महिला घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित सरकार के द्वारा घोषित विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सरकार, नागरिक समाज तथा कामगार यूनियन को सम्मिलित रूप से यह कार्य करना होगा। नागरिक समाज संगठन के द्वारा इन योजनाओं के लाभ के बारे में महिला घरेलू कामगारों को अवगत कराया जाना चाहिए। राज्य एवं स्थानीय इकाइयाँ भी इसमें सहयोग करें। घरेलू कामगार संघ के द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके महिला कामगारों की क्षमता में वृद्धि करना चाहिए। यदि महिला कामगारों की कार्यक्षमता एवं कौशल में वृद्धि होती है तो ये नियोक्ताओं से अधिक वेतन के लिए सौदेबाजी कर सकती हैं। महिला घरेलू कामगारों के कष्ट एवं

संघर्ष को कम करने के लिए इनका पंजीकरण भी किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि की कार्य सुरक्षा इनके लिए प्रदान करनी चाहिए। आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की मदद से महिला कामगारों की पहचान एवं इनका पंजीकरण कराया जाना चाहिए। सभी पंजीकृत महिला कामगारों को पहचान-पत्र दिया जाना चाहिए जिसका उपयोग ये अपार्टमेंटस में काम पाने में कर सकती हैं। साथ ही अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभ उठा सकती हैं। केंद्र सरकार के द्वारा घरेलू कामगारों के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 एवं कार्यस्थल पर योन शोषण अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। घरेलू कामगारों के लिए विकलांगता एवं मातृत्व सुरक्षा तथा वृद्धावस्था पेंशन की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत घरेलू कामगारों के लिए 3000 का बीमा सुरक्षा प्रदान किया गया है।[10] इस प्रकार, घरेलू कामगारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाए गए हैं। किंतु इनका लाभ घरेलू कामगारों तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाता है। प्रशासकीय बाधाएँ, पंजीकरण की जटिल प्रक्रियाएं तथा अप्रभावी क्रियान्वयन के कारण इन योजनाओं का लाभ लक्षित समूह को नहीं मिल पाता है। महिला घरेलू कामगार इससे अधिक प्रभावित होती हैं।

नागरिक समाज की भूमिका

महिला घरेलू कामगारों के कार्य की प्रकृति के कारण इन्हें निकृष्ट समझा जाता है। लॉकडाउन के दौरान इन्हें 'वायरस कैरियर' भी कहा गया। सरकार एवं नागरिक समाज की साझेदारी के द्वारा ही इनके कष्ट एवं संघर्ष को कम किया जा सकता है। एक मंच बनाया जाना चाहिए जिसके सदस्य सरकार एवं नागरिक समाज दोनों से हों। यह मंच महिला कामगारों की ओर से उनकी समस्याओं को उठाएगा तथा सौहार्दपूर्ण समाधान की कोशिश करेगा। यह मंच महिला घरेलू कामगारों एवं उनके नियोक्ताओं के बीच सम्मानजनक सेवा-शर्तें निर्धारित करेगा ताकि कामगारों का शोषण न होने पाए तथा उनके संघर्ष एवं कष्ट को न्यूनतम किया जा सके। महिला घरेलू कामगारों से संबंधित मुद्दों एवं समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए रेजिडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये एसोसिएशन केवल कामगारों से कागजात ही न मांगें बल्कि इन कागजातों को बनवाने में मदद भी करें। अधिकतर महिला कामगार अशिक्षित होती हैं। ऐसी स्थिति में उनको बताया जाना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के कागजात यथा निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड इत्यादि कहाँ एवं कैसे बनाया जाए। ऐसा करने से रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एवं महिला कामगारों दोनों को लाभ होगा। महिला घरेलू कामगारों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अतः, इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार

लाने की दिशा में सिविल समाज की महती भूमिका हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, बेंगलुरु अपार्टमेंटस फेडरेशन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।[11] इस फेडरेशन ने एक योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत अपार्टमेंट्स में कार्य करने वाले कामगारों के लिए चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। इसने घरेलू कामगारों यथा बाई, ड्राइवर, बावर्ची, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि के लिए सामूहिक बीमा की योजना शुरू की है जो इनके स्वास्थ्य से संबंधित व्यय वहन करेगा। यह अत्यंत ही सराहनीय कदम है तथा इस तरह की योजना पूरे भारत में शुरू की जानी चाहिए ताकि घरेलू कामगारों को कुछ सुरक्षा कवच मिल सके।

निष्कर्ष

इस प्रकार, अल्प-कालिक एवं दीर्घ-कालिक उपायों के द्वारा महिला घरेलू कामगारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। अल्पकालिक उपाय के रूपमें राशन एवं नकदी भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। घर का किराया तथा अन्य प्रकार के बिल भुगतान के लिए लम्बा समय दिया जाना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय निकाय एवम अन्य सरकारी एजेंसियों के द्वारा इन सबकी निगरानी होनी चाहिए। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 एवम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत महिला घरेलू कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाना चाहिए। दीर्घ-कालिक उपाय के रूप में महिला कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इनके लिए संवैतानिक अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, साप्ताहिक अवकाश, मातृत्व अवकाश इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बजट का प्रावधान लिंग आधारित होना चाहिए। पहले से चल रही सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। नेशनल पॉलिसी फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। शोषण एवं हिंसा के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार, विभिन्न हितधारकों यथा केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय एजेंसियां, स्वयंसेवी संस्थाएँ, गैर-सरकारी संगठन, श्रम कल्याण कार्यकर्ता, कामगार यूनियन, *रेजिडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन* एवं आम नागरिक के सम्मिलित प्रयास एवं कार्य से ही महिला घरेलू कामगारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. https://www.wiego.org/informa-economy/occupational-groups
2. UN India, COVID–19: Immediate socio-economic response plan for india, 2020
3. NSSO, India– Employment and Unemployment: NSS 68th Round : July

2011– June 2012, Government of India

4. https://www.thehindu.com/news/cities/bangalore/91-of-domestic-workers-not-paid-during-lockdown-survey/article31835257.ece
5. https://thediplomat.com/2020/05/covid-19-lockdown
6. https://www.thenewsminute.com/article/they-think-we-carry-virus-scores-domestic-workers-bengaluru-lose-jobs-125390
7. https://www.thehindu.com/news/national/80-in-informal-employment-have-no-written-contract/article11219058.ece
8. https://www.hindustantimes.com/india-news/coronavirus-update-women -to-get-rs-500-per-month-from-today-under-pm-jan-dhan-yojana/story-KxAb-6jZRrPqUUvA2uNSwxl.html
9. https://www.downtoearth.org.in/news/governance/covid-19-relief-didn-t-reach-jan-dhan-a-cs-of-many-women-survey-72113
10. https://bengaluru.citizenmatters.in/bangalore-apartments-federation-baf -group-health-insurance-domestic-workers-bamboos-38860
11. https://www.newsindianexpress.com/opinions/editorials/2020/may/23/need-laws-to-protect-domestic-workers-2146885-html